

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल

वल्लभ भवन, पोस्ट - 462004
=====

क्रमांक- एफ. 73- 82/20-3/200 5

भोपाल, दिनांक - 28/10/2005

प्रति,

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रति विहार, नई दिल्ली ।

विषय :- अशासकीय संस्था संस्कार एकेडमी, अशोक नगर, मध्यप्रदेश
को सी. बी. एस. ई. / अनई. सी. एस. ई. से सम्बद्धता हेतु एन. अं. सी.
देने बाबत ।

== 00 ==

राज्य शासन द्वारा अशासकीय संस्था संस्कार एकेडमी, अशोकनगर, मध्यप्रदेश ।
को सी. बी. एस. ई. / अनई. सी. एस. ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनारत्ति
प्रमाण पत्र विशेष प्रकरण मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

01. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी
को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे
प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पंचायक (परिष्ठा) को
या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है ।
02. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना
होगा ।
03. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए लिये गये निर्णयों
में यदि संस्था से किन्हीं कार्यों की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों
को संस्था को करना होगा ।
04. खेलकूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है ।
परन्तु रेखा न होने पर भी यदि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
को इनके किसी खेल परिसर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो
उपलब्ध कराना होगा ।

Principal
Sanskar Academy

निरन्तर 2 पर.....

05. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को तंगालित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा अंदेशासुसार

१ अं. आर. अहिरवार १
अवर सचिव

मू०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

पृ. क्र. रफ 73 - 82 /20-3/2005

भोपाल, दिनांक -

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, म०प्र० भोपाल।
 2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - अशोक नगर, मध्यप्रदेश
 3. प्राचार्य, अंशा. संस्था सरकार स्कैडमी बरखेड़ी, अशोक नगर, मध्यप्रदेश
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संश्लेषित है।

अवर सचिव

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

Principal
Sanskrit Academy
Ashoknagar